

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली (राज.)

क्रमांक :-

50

दिनांक:-01.07.2026

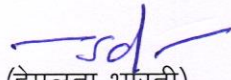
:: कार्यालय-आदेश ::

मैं, हेमलता भारती, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली एतद्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **जुलाई, 2026** में अग्रवर्णित राजकीय व अन्य अवकाशों के दिन पाली न्याय क्षेत्र की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक दायित्व कार्य यथा अभियुक्तगण के रिमाण्ड संबंधी कार्य, जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई, धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता/धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन, मृत्यु कालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं प्रोटोकॉल संबंधी कार्य तथा अन्य कार्य (जिन्हें अधोहस्ताक्षरकर्ता तत्समय अत्यावश्यक प्रकृति का निर्धारित करे) का निस्तारण/सुनवाई करने के लिये कॉलम संख्या 2 में वर्णित दिनांक के लिये कॉलम संख्या 3 में वर्णित पीठासीन अधिकारी को अधिकृत करती हूँ:-

क्र.सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापन न्यायालय का नाम
1	2	3
1.	05.07.2026	श्रीमती कविता कच्छवाहा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.दं.), पाली
2.	11.07.2026 12.07.2026	श्रीमती शालिनी चौधरी, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट कैसेज), कम संख्या-1, पाली
3.	19.07.2026	सुश्री वीनस चौधरी, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट कैसेज), कम संख्या-2, पाली
4.	25.07.2026 26.07.2026	सुश्री भव्या झरवाल, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम संख्या-2, पाली

निर्देश:-

01. अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय 11.00 ए.एम. से 02.00 पी.एम. तक रहेगा।
02. अधिकृत किये गये न्यायिक अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्व कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे तथा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली की अनुमति के बिना मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।
03. यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्पूर्व दिवस को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो वही न्यायिक अधिकारी, जिसे ऐसे घोषित किये गये राजकीय अवकाश के यथास्थिति पूर्व या पश्चात्पूर्व निर्धारित दिवस को उपरोक्त कर्तव्य हेतु अधिकृत किया हुआ है, के द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य सम्पादित किये जाएंगे।
04. यदि कोई न्यायिक अधिकारी किसी कारणवश अपनी रिमाण्ड ड्युटी करने में असमर्थ रहता है अथवा अवकाश पर रहने/मुख्यालय परित्याग करने की प्रस्तावना करता है तो वह अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त रिमाण्ड ड्युटी निर्वहन किये जाने का सामंजस्य कर सहमति का अपने पत्र में अंकन करते हुए इस कार्यालय को प्रेषित करें।


(हेमलता भारती)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पाली (राज.)

क्रमांक:- 1667

दिनांक:-01.07.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली / (सा.दं.)पाली / बाली / सोजत / सुमेरपुर / मारवाड़ जंक्शन
3. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, पाली।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली / मारवाड़ जंक्शन / सुमेरपुर / देसूरी / बाली / सोजत / सादडी / रानी।
5. अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1/2, पाली / सोजत / सुमेरपुर।
6. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन आई एक्ट केसेज) संख्या 1/2/3 पाली।
7. जिला पुलिस अधीक्षक, पाली को प्रेषित कर लेख है कि पाली न्यायक्षेत्र के समस्त थानाधिकारियों को निर्धारित समय (11.00 ए.एम. से 02.00 पी.एम.) में ही आवश्यक रूप से रिमाण्ड न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्य प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।
8. उप निदेशक अभियोजन, पाली को अभियोजन अधिकारी की ड्युटी की व्यवस्था हेतु।
9. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, पाली
10. प्रभारी, कण्ट्रोल रूम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पाली
11. सिस्टम ऑफिसर - जिला न्यायालय, पाली को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पाली (राज.)